भाकृअनुप–केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान
ICAR-CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR JUTE & ALLIED FIBRES
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
(Indian Council of Agricultural Research)
नीलगंज, बैरकपुर, कोलकाता–700 120 : पश्चिम बंगाल
NILGANJ : BARRACKPORE: KOLKATA-700120 : WEST BENGAL

फा. संख्याः 5 (डी–VIII)/2018–19/13815 दिनांकः 14 मार्च, 2019

परिपत्र

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के का0 ज्ञा0 संख्याः ।।–12013/3/87–राजभाषा (क. 2) दिनांक 16.02.1988 के अनुदेशों का अनुपालन करते हुए संस्थान में हिन्दी में कार्य करने के लिए दिनांक 01.01.2000 से प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रति वर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। भा.कृ.अनु.प. के पत्रांक 1(13)/97–हिन्दी दिनांक 11.05.2001 के अनुसार हिन्दी प्रोत्साहन योजना प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से लागू होती है तथा दूसरे वर्ष 31 मार्च को समाप्त होती है। इस योजना की रूप–रेखा इस प्रकार हैः–

2. **पात्रताः**–(क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूलरूप से हिन्दी में करते हैं।

(ख) केवल वे ही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" (अर्थात बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र (जिसमें "क" व "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे।

(ग) हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक, हिन्दी आशुलिपिक/टाइपिस्ट इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

3. **पुरस्कारः– इस योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों को परिषद के दिनांक 07, दिसम्बर 2016 के परिपत्र सं. रा.भा. 3 (1)/2013–हिन्दी के अनुसार हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नगद पुरस्कार दिए जाएंगेः–**

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) प्रत्येक रु0 5,000/–
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) प्रत्येक रु0 3,000/–
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) प्रत्येक रु0 2,000/–

4. **पुरस्कार देने के लिए मापदण्डः–**

(क) मूल्याँकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे। इनमें 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होगें।

शेष पृ.सं.....2/– पर...

(ख) प्रतियोगी प्रतिदिन विहित प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा–जोखा रखेगें। प्रत्येक सप्ताह के लेखे–जोखे पर अनुभाग अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ग) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी को हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा–जोखा प्रति हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्याँकन समिति को प्रस्तुत करना पड़ेगा। पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा विवरणी पुस्तिका में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा।

5. अनुरोध है कि संस्थान के जो अधिकारी/कर्मचारी इस प्रोत्साहन योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक हों वे प्रतिदिन **संलग्न विहित प्रपत्र** में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा–जोखा **दिनांक 01.04.2019** से रखना अवश्य प्रारंभ कर दें।

प्रपत्र

डा./श्री/श्रीमती/कुमारी ..... की ..... को समाप्त होने वाले सप्ताह में हिन्दी के मूल काम की साप्ताहिक विवरणी:–

क्रम सं0	तिथि	कुल फाइलों, रजिस्टरों आदि की संख्या जिन में हिंदी में काम किया गया	हिन्दी में लिखे गए टिप्पणी और आलेखन के शब्दों की संख्या	हिन्दी में किए गए और काम		उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
				संक्षिप्त व्यौरा	शब्दों की सं0	
1	2	3	4	5	6	7

यह परिपत्र निदेशक महोदय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय) 14/03/2019
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी, हिन्दी कक्ष

वितरण:

1. संस्थान के सभी प्रभागों/अनुभागों के प्रधान।
2. संस्थान के सभी अनुसंधान केन्द्रों के प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान, के.वी.के., बुद बुद, बर्दवान।
4. प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रधान, के.वी.के., बुद बुद, बर्दवान।
5. प्रभारी, ए.के.एम.यू., भा.कृ.अनु.प.–के.प.स.रे.अ.सं., बैरकपुर से अनुरोध है कि इसे संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।